

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17/2014 प्रार्थना पत्र 14(4)

आम जनता ग्राम गिरधरपुरा जरिये

1. कमलसिंह पुत्र गिराज
2. सुमेरसिंह पुत्र रामहेत
3. सियाराम पुत्र जयसिंह
4. महेश पुत्र हजारी
5. सुरज्ञानसिंह पुत्र भगवानसहाय
6. शेरसिंह पुत्र श्योदान
7. लाखन पुत्र रामकिशोर
8. नाथूसिंह पुत्र विजयसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम गिरधरपुरा
तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र पूरणमल जाति गुर्जर निवासी गिरधरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. उपजिला कलक्टर (परगना अधिकारी) बांदीकुई।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन बहक
अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 20.12.2004)

उपस्थिति : श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 06.01.2021

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 0.28 है. व खसरा नम्बर 129 रकबा 0.50 है. कुल रकबा 0.78 भूमि का आवंटन दिनांक 20.12.2004 को कर दिया। जबकि आवंटनशुदा भूमि पर आज तक आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं रहा है। आवंटनशुदा आराजी बीहड बंजड सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से आराजी पडत पडी हुई है जिसमे आम जनता के मवेशी पूर्वजो के समय से चरते आ रहे हैं तथा आवंटनशुदा भूमि सार्वजनिक आम जनता के हितार्थ अधिकार की भूमि है। दिनांक 15.06.2014 को पहली बार आम जनता को इस आवंटन की जानकारी होने के बाद प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 20.12.2004 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन आदेश दिनांक 20.12.2004 बाबत खसरा नम्बर 57 रकबा 0.28 है. व खसरा नम्बर 129 रकबा 0.50 है. कुल रकबा 0.78 भूमि वाके ग्राम मौजा गिरधरपुरा तहसील बसवा विधिविरुद्ध एवं



तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 ने फ़ोड मिसरिप्रजेन्टेशन करके तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन कमेटी से साज करके अपने लिये एवं अपने परिवार वालों के लिये भी भूमि का आवंटन करवाया है। आवंटनशुदा भूमि पर आज तक आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं रहा ना ही उसने कभी काश्त की है, जबकि आवंटन के समय कानूनन यह आवश्यक था कि आवंटी पहले वर्ष में आधी भूमि पर काश्त करेगा तथा दूसरे वर्ष में पूरी भूमि पर काश्त करेगा। परन्तु आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की है। आवंटनशुदा भूमि हरकदर सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है। उक्त आराजी भूमि आवंटन योग्य नहीं है उक्त आवंटनशुदा भूमि बंजड भूमि है जो नाकाबिल काश्त है एवं पूर्वजो के समय से ही बीहड बंजड चली आ रही है जो आम जनता के पशुओं को चरने व चारा फूस आदि के काम में आती रही है। 1960 में उक्त भूमि का आवंटन नारायणसिंह राजपूत बांदीकुई जागीर को हो गया था। जिसे आम जनता द्वारा निरस्त करवा दिया गया था। यह महज आवंटन नहीं अपितु स्कैण्डल है। सार्वजनिक लैण्ड की भूमि के सम्बन्ध में सेक्शन 16 एल. आर. एक्ट एवं आवंटन नियम के तहत यह भूमि विधिपूर्ण आवंटन योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 20.12.2004 निरस्त करने की कृपा करे।


अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 द्वारा जवाब बहस के दौरान तर्क दिया कि आवंटन आदेश दिनांक 20.12.2004 बाबत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 57 रकबा 0.28 है. व खसरा नम्बर 129 रकबा 0.50 है. कुल रकबा 0.78 भूमि वाके ग्राम मौजा गिरधरपुरा तहसील बसवा के आवंटन में अप्रार्थी संख्या 1 ने क्या फ़ाड क्या मिसरिप्रजेन्टेशन किया गया है यह अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नहीं बताया गया है। सिवायचक भूमि का विधिवत आवंटन कर कब्जा संभलवाया गया है। विधिवत खातेदारी दे दी गई है। हमारा कब्जा है एवं काश्त भी कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा कोई जमाबन्दी पेश नहीं की जिससे साबित होता हो की उक्त भूमि आवंटन के काबिल नहीं है। भूमि आवंटन के सम्बन्ध में विधिवत उद्घोषणा जारी हुई है। पटवारी ने समस्त रिपोर्ट की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण आम जनता की तरफ से आ रहे है। जिसका आपको कोई अधिकार नहीं है। आवंटन हुए लगभग 16 वर्ष हो चुके है। आवंटनशुदा भूमि का विधिवत उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र हैरान परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने काबिल नही है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आवंटी को आवंटन विधिवत रूप से उद्घोषणा जारी कर किया गया है। आवंटी अप्रार्थी सं. 1 को खातेदारी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है तथा आवंटन आदेश दिनांक 20.12.2004 बहक बाबूलाल पुत्र पूरणमल जाति गुर्जर निवासी गिरधरपुरा तहसील बसवा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।


अति० जिला कलक्टर
(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलक्टर, दौसा


अति० जिला कलक्टर
(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलक्टर, दौसा